

# अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी (नागौर)

नं 177/2022 योगराज सिंह | समय सिंह

मुकदमा नं. ....

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तारीख  
में जारी हुए

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

Case NO. 2022/359

पत्रावली पेश हुई। बकुलाम उपस्थित।  
शर्पणा पत्र, सेलम दस्तावेज, जवाब एवं  
उत्तर पक्षकारों की बयान पर गौर  
के परबत उक्त प्रपत्र इच्छया शर्पणा  
के पक्ष में साबित होगा।

शर्पणा को विवादित शक्ति पर  
आपदा निषेधाज्ञा नहीं मिलने पर  
अपूरणीय सति कारित हो सकती है।  
शुक्रिया का संतुलन शर्पणा के पक्ष में  
होने के कारण उत्तरपक्षकारों को  
विवादित खतों पर नाफसला वाद तब  
आपदा निषेधाज्ञा से पाबन्द किया  
जाता है। पत्रावली केवल शुभल होकर  
नम्बर के कद होकर तारीख पत्र है।

उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

